बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 330372 पटना, दिनांक 26/09/2017

ग्रा.वि -7 (नियोजन) -12/2017

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- **महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के श्रम बजट तैयार किये जाने एंव वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन हेतु दिनांक-20,21 एवं 22 नवम्बर 2017 को ग्राम सभा आयोजित करने के संबंध में ।**

प्रसंग:- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक No.G-31011/10/2017-MGNREGA-V दिनांक- 29.08.2017,पत्रांक No.J-31011/15/2017-MGNREGA-V दिनांक- 17.08.2017, पत्रांक No.F-No J-11011/07/2016-RE-I(351427) दिनांक 01.11.2016, विभागीय पत्रांक 328849 दिनांक 18.09.2017 ।

महाशय,

महात्मा गाँधी नरेगा 2005 की पैरा 7,अनुसूची (1) के अनुसार, "प्रत्येक वर्ष अगस्त से फरवरी माह के बीच राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रकियानुसार पंचायत के प्रत्येक स्तर पर व्यवस्थित, भागीदारीपरक आयोजना कार्यक्रम किया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्यों का निर्धारण किया जाएगा और इन्हें ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा तथा मध्यवर्ती पंचायतों या अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को मध्यवर्ती या जिला पंचायतों के समक्ष संभावित परिणामों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।"

2. अधिनियम की धारा 14 की उप धारा 6 के अंतर्गत निर्धारित है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए श्रम बजट प्रत्येक वर्ष के दिसंबर माह में तैयार करेंगे जिसमें जिला में अकुशल शारीरिक कार्य के लिए पूर्वानुमानित मांग और योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यों में श्रमिकों को लगाने की योजना का विवरण होगा और उसे जिला पंचायत की स्थायी समिति को प्रस्तुत करेंगे ।

3. अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायतो के क्षेत्र में पडने वाली वैसी योजनाओ को चिन्हित करने, उन्हे क्रियान्वित करने और उनका अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी होगी जो ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की सिफारिशों के अनुसार योजना के रूप में लिया गया है ।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा श्रम बजट निर्माण के सम्बन्ध में निदेशित किया गया है कि " the State Government ought to present a realistic budget which should then be pragmatically considered by the Empowered Committee....... "

5. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कार्य योजना बनाने (Planning for Works) एवं श्रम बजट तैयार किये जाने हेतु मास्टर परिपत्र FY 2017-18 जारी किया गया है जिसके अध्याय 6.1 में श्रम बजट तैयार करना तथा वार्षिक अभिसरण आयोजना कार्यक्रम के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें मुख्यत: निम्न है ।

i. कार्य योजना के निर्माण में, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) से सम्बंधित कार्य , कृषि तथा तत्संबंधी कार्यकलापों पर केंद्रित कार्य तथा व्यक्तिगत भूमि पर आजीविका संबंधी कार्य पर विशेष फोकस दिया जाए ताकि इन कार्यों के माध्यम से वंचित परिवारों के लिए सतत आजीविका सुनिश्चित किया जा सके । महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से सम्बंधित योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(PMKSY), इन्टीग्रटेड वाटर शेड मैनेजमेंट कार्यक्रम(IWMP) ,कमान्ड एरिया एवं जल प्रबंधन(CAD&WM) के अभिसरण करते हुए चयन किया जाना चाहिए जिससे जल संरक्षण और जल संचयन की योजनाओं से बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सके। Planning के लिए तकनीकी इनपुट जिला में उपलब्ध मनरेगा, CSO Partners तथा लाइन विभाग के तकनीकी संसाधनों से प्राप्त किया जायेगा । प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन(NRM) से सम्बंधित योजनाओं के Planning के लिए तकनीकी इनपुट मनरेगा, कृषि विभाग एवं जल संसाधन विभाग के तकनीकी पदाधिकारीयों के संयुक्त पूल से प्राप्त किया जायेगा। जल निकायों के उत्खनन,नवीकरण एवं आधुनिकीकरण से सम्बंधित तकनीकी इनपुट केन्द्रीय भूमि जल आयोग (Central Ground Water Commission) के क्षेत्रिय कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा ।

ii. जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह-जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में, अभिसरण की योजनाओं के लिए,एक जिला समन्वय इकाई का गठन किया जायेगा, जिसमें जिला में IWMP, PMKSY एवं MGNREGA के नोडल पदाधिकारी सदस्य होंगे । जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मनरेगा , IWMP एवं PMKSY से सम्बंधित वार्षिक कार्य योजना इस तरह से समन्वित की जाए इनके अभिसरण से गाँव के एकीकृत विकास के लिए एक व्यापक परियोजना तैयार किया जा सके। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि मनरेगा योजना के श्रम बजट के NRM घटक को केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, National Remote Sensing Centre ,केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन विभाग एवं कृषि विभाग का परामर्श लेते हुए अनिवार्य रूप से जिला सिचाई योजना (District Irrigation Plan) का हिस्सा बनाया जाए ।

iii. जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि वार्षिक कार्य योजना का Planning इस प्रकार से किया जाए कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में मंत्रालय द्वारा चिन्हित 100 Mission Water Conservation(MWC) प्रखंडों में कुल व्यय का 65% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) से सम्बंधित कार्यों पर संभव हो सके । विभाग द्वारा बांका , लखीसराय , शेखपूरा, नालंदा एवं नवादा के सभी प्रखंडो को भी MWC प्रखंड के रूप में शामिल करने का अनुरोध ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से किया गया है ।अतः इन प्रखंडों में भी NRM के कार्यों के चयन पर विशेष ध्यान दिया जाया ।

iv. काम की मांग का आकलन करने, निजी भूमि पर लिए जाने वाले कार्यों या प्रत्यक्ष व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने वाले कार्यों की सूची तैयार करते समय वंचित परिवारों,विशेषकर SECC के तहत चिन्हित automatically included and Deprived परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

v. अन्तर विभागीय तथा विभाग में कार्यान्वित होने वाली विभिन्न योजनाओं(मनरेगा, प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण , जीविका) के अभिसरण से लिए जाने वाले योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाए। जीविका एवं मनरेगा के अभिसरण से निजी भूमि पर ली जाने वाली योजना हेतु वंचित परिवारों को चिन्हित करना ताकि मनरेगा से स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण कर उनके लिए सतत आजीविका के संसाधन उपलब्ध कराया जा सके ।

vi. Planning Exercise में जीविका के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का सक्रिय भागीदारी होगी । महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत Cluster Facilitation Team तथा जीविका के Intensive Block Cluster , आयोजना अभ्यास (Planning Exercise) में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

विदित है कि CFT परियोजना के बेहतर क्रियान्वयन तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 का कार्य योजना तैयार करने हेतु ,जीविका द्वारा CFT के अंतर्गत 10 जिले (गया, नालंदा, नवादा, पुर्णिया, खगड़िया, बांका, कटिहार, जमुई, मुजफ्फरपुर, मधुबनी) में Participatory Planning पर चार दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है । प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सभी 10 जिलों के 25 प्रखंडो में वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट तैयार करना है । CFT के 25 प्रखंडो के 500 ग्राम पंचायतो में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयोजित नियोजन अभ्यास(Planning Exercise) एवं वार्ड सभा में सबकी भागीदारी (विशेषकर समुह की महिलाये, SC/ST एवं समुदाय के वंचित वर्गो) सुनिश्चित करते हुए उन्हें प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM), कृषि तथा तत्संबंधी कार्यकलापों पर केंद्रित कार्य और व्यक्तिगत भूमि पर आजीविका से संबंधित कार्यों का सीएफटी के अंतर्गत चयन करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे । इस प्रकार के योजनाओं को चिन्हित करने तथा योजना बनाने में मनरेगा सलाहकार (Technical और NRM Expert), जीविका के Area Co-ordinator और Community Co-ordinator ग्रामीणों को खास करके जीविका से जुड़े सदस्यों को मदद करेंगे तथा योजना बना कर वार्ड सभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

6. **विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत श्रम बजट एंव वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन हेतु 20,21 एवं 22 नवम्बर 2017 को ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जायेगा । प्रतिदिन एक प्रखण्ड की सामान्यतः एक तिहाई ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित की जाये ।ग्राम सभा में पंचायत रोजगार सेवक/पंचायत सचिव निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे ।**

वार्षिक कार्य योजना तथा श्रम बजट के अनुमोदन हेतु वार्ड सभा ,ग्राम सभा ,सहभागी आयोजना अभ्यास (Participatory Planning Exercise) एवं विभिन्न स्तर पर अनुमोदन निम्न कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जायेगी -

• ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा के उपलक्ष्य में 2nd अक्टूबर 2017 को ग्राम सभा का आयोजन ।			
• दिनांक 11th अक्टूबर 2017 को ग्राम सभा एवं मनरेगा अंतर्गत सघन सहभागी आयोजना अभ्यास की शुरुआत ।			
• सभी ग्राम पंचायतों के वार्डों में सहभागी आयोजना अभ्यास (Participatory Planning Exercise) एवं वार्ड सभा का आयोजन 12th अक्टूबर 2017 से प्रारंभ			
क्रम संख्या	वार्ड संख्या	सहभागी नियोजन अभ्यास की अवधि	वार्ड सभा आयोजन की तिथि
i	1 एवं 2	12 से 14 अक्टूबर 2017	14.10.2017
ii	3 एवं 4	15 एवं 17 अक्टूबर 2017	17.10.2017
iii	5 एवं 6	22 से 24 अक्टूबर 2017	24.10.2017
iv	7 एवं 8	29 एवं 31 अक्टूबर 2017	31.10.2017
v	9 एवं 10	01 से 03 नवम्बर 2017	03.11.2017
vi	11 एवं 12	04 एवं 06 नवम्बर 2017	06.11.2017
vii	13 एवं 14	07 से 09 नवम्बर 2017	09.11.2017
viii	15 एवं 16	11 से 13 नवम्बर 2017	13.11.2017
ix	16 से अधिक	14 नवम्बर (16 से अधिक वार्ड होने पर उसके बाद लगातार तिथियों को @ दो वार्ड)	
20,21 एवं 22 नवम्बर 2017 को ग्राम सभा का आयोजन			
30 नवम्बर 2017 को पंचायत समिति द्वारा प्रखंड कार्ययोजना का अनुमोदन			
कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष प्रखण्ड कार्य योजना से सम्बंधित प्रस्तुतीकरण 05 दिसम्बर से 15 दिसम्बर 2017 तक)			
20 दिसम्बर 2017 को जिला परिषद् द्वारा जिला कार्ययोजना का अनुमोदन			
जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा सचिव ग्रामीण विकास विभाग के समक्ष जिला कार्ययोजना से सम्बंधित प्रस्तुतीकरण (21 दिसम्बर 2017 से 20 जनवरी 2018 तक)			

मिशन अन्त्योदय के तहत आयोजित समृधि एवं स्वच्छता पखवाडा के उपलक्ष्य में 02 अक्टूबर 2017 को तथा 11 अक्टूबर 2017 को आयोजित ग्राम सभा की कार्यावली

7. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 01 अक्टूबर 2017 से 15 अक्टूबर 2017 तक स्वच्छता पखवाडा का आयोजन किया जा रहा है जिसका उद्धेश्य ग्राम सभा में अधिक से अधिक लोगो की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना , वर्ष 2018-19 के लिए विकास के कार्यक्रम तय करना, आजीविका से संबंधित परिसम्पतियों पर फोकस करना तथा गांवों के समग्र विकास हेतु विभिन्न हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है । विभागीय पत्रांक 328849 दिनांक 18.09.2017 के माध्यम से इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं ।

8. ग्रामीण विकास मंत्रालय ,भारत सरकार के निदेश के अलोक में ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा के तहत दिनांक 02.10.2017 को तथा पुनः दिनांक 11.10.2017 को ग्राम सभा का

आयोजन किया जायेगा जिसमें महात्मा गाँधी नरेगा के तहत दिनांक 02.10.2017 को निम्न कार्यावली पर विचार किया जायेगा :-

- पंचायत रोजगार सेवक (PRS) और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों सहित पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों ,ग्रामवासियों ,क्षेत्रीय कर्मियों की सभा सुबह के समय आयोजित की जायेगी ।
- ग्राम सभा में पंचायत रोजगार सेवक द्वारा उपस्थित ग्रामीणों को मनरेगा के संबंध में उन्नमुखीकरण किया जायेगा तथा विगत वर्ष की मनरेगा कार्यान्वयन एवं उपलब्धियों के संबंध में ग्रामीणों के समक्ष लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जायेगा एवं ग्राम सभा के समक्ष पढकर सूनाया जायेगा ।
- यदि विगत वित्तीय वर्ष में सामाजिक लेखा परीक्षा कराई गई थी तो इसकी टिप्पणीयों और अनुपालन प्रतिवेदन को ग्राम सभा में पढ़ कर सुनाया जायेगा । अपूर्ण कार्यों और चालू वर्षों के कार्यों पर विशेष ध्यान देते हुए इसकी प्रगति प्रतिवेदन पर चर्चा की जाएगी ।
- अपूर्ण कार्यों, वार्षिक कार्य योजना (Shelf of Project), जॉब कार्ड सत्यापन और सूचना पट्ट (Citizen Information Board) के संबंध में ग्रामीणो के साथ चर्चा की जायेगी।
- इस ग्राम सभा में स्वयं सहायता समूह की दो या तीन महिलाओं का चयन किया जायेगा जो समाजिक अंकेक्षण हेतु विलेज रिसोर्स परसन (VRP) के रूप में कार्य करेगी।
- स्वच्छ और हरा गॉव बनाने हेतु स्वच्छता से जुडें कार्यो में लोगों में जागरूकता लाना तथा जानकरी देना।
- Mission Water Conservation and प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (Natural Resource Management) पर सत्र का आयोजन करना।
- स्वच्छता हेतु पहल - जैसे धरेलू सोक पीट का निमार्ण, मनरेगा के तहत शौचालय का निर्माण के संबंध में जानकारी।
- वेस्ट मैनेजमेंट पहल - जैसे Vermi/ NADEP Composting का निर्माण के संबंध में जानकारी।

इसी क्रम में दिनांक 11.10.2017 को आयोजित ग्राम सभा में निम्न कार्यावली पर विचार किया जायेगा :-

- सधन सहभागी नियोजन अभ्यास, वार्ड सभा एवं ग्राम सभा की तिथियों की जानकारी एवं उसमें किये जाने वाले कार्यो पर चर्चा।
- व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का महत्व एवं उसके आवेदन की प्रक्रिया की करने की जानकरी इत्यादि।
- नागरिक केन्द्रित Mobile Application “ Janmanrega” के उपयोग एवं लाभ के सम्बन्ध में ग्राम सभा में चर्चा ।
- माह में कम से कम एक दिन ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित होने वाली मनरेगा रोजगार दिवस में भाग लेने की प्रतिज्ञा लेने हेतु ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना ।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 से सम्बंधित पूरक योजना का अनुमोदन।

- दस्तावेजीकरण : पचायत रोजगार सेवक द्वारा ग्राम सभा की कार्यवाही का संधारण किया जायेगा ।

उपरोक्त दोनों ग्राम सभा से सम्बंधित प्रतिवेदन दिनांक 15.10.2017 तक विभाग को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे । (<u>प्रपत्र 6</u>.)

<u>मनरेगा श्रम बजट एवं कार्य योजना का निर्माण हेतु सघन सहभागी आयोजना अभ्यास</u>

9. श्रम बजट एवं वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन हेतु आयोजित होने वाली ग्राम सभा से पूर्व सभी वार्डो में कंडिका 6 में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार,भागीदारीपरक प्रक्रियाओं के माध्यम से सहभागी आयोजना अभ्यास (Participatory Planning Exercise) कराया जायेगा एवं वार्ड सभा कराकर सभी प्रक्रियाओं का अनुमोदन कराया जाएगा । Planning Exercise के तहत निम्न कार्य किए जायेगें :-

i **<u>बेसलाइन सर्वेक्षण करना</u>** - घर-घर जा कर व्यक्तिगत सर्वे करना ताकि प्रत्येक वार्ड में रोजगार एवं समय का आकलन किया जा सके एवं मौसमी मांग से सम्बंधित जानकारी प्राप्त किया जा सके । बेसलाईन सर्वेक्षण श्रम बजट आकलन पंजी में करवाया जाएगा । इसमें सभी जॉबकार्डधारी परिवारों के संबंध में सूचना प्राप्त होती है । यह पंजी कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा पंचायतवार तैयार कर पंचायत रोजगार सेवक को उपलब्ध करायी जाएगी। पंजी तैयार करने का प्रपत्र एवं प्रक्रिया **<u>प्रपत्र 1</u>** में उल्लेखित है ।

ii **<u>मनरेगा अंतर्गत व्यक्तिगत योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त करना एवं संकलित करना</u>** - बेसलाइन सर्वेक्षण के दौरान इक्छुक परिवारों से मनरेगा अंतर्गत अनुमान्य व्यक्तिगत योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त किया जायेगा तथा लोगों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का संकलन किया जायेगा । निजी भूमि पर लिए जाने वाली योजना के लिए विहित आवेदन पत्र/(**<u>प्रपत्र -2</u>**) संलग्न है ।

- <u>ग्रामीण समुदाय को प्रेरित किया जाए कि इस प्रकार की योजनाओं का चयन करें जिससे कि स्थायी आजीविका का सृजन हो सके ।</u>
- <u>निजी भूमि पर अनुमान्य श्रेणी के व्यक्तियों एवं अनुमान्य कार्यों का विवरणी</u> **<u>अनुलग्नक-1</u>** <u>के रूप में संलग्न है ।</u>

iii **<u>सार्वजनिक क्षेत्रों की योजनाओं का चयन एवं संकलन</u>** - समुदाय से वार्ता कर, वार्ड की जरूरतों एवं संसाधन क्षेत्र की पहचान करते हुए मनरेगा अंतर्गत अनुमान्य सार्वजनिक क्षेत्रों की योजनाओं का चयन एवं संकलन किया जायेगा । उल्लेखनीय है कि श्रम बजट के निर्माण हेतु पूर्व के वर्षो में जो साघन सहभागी नियोजन अभ्यास द्वारा PRA Tools अपनाते हुए वार्डवार Resource Mapping, Social Mapping एवं पद यात्रा करते हुए योजनाओं का चयन किया गया था, उसे पुनः अद्यतन करते हुए उपयोग किया जा सकता है ।

- सार्वजनिक क्षेत्रों पर चयन की जाने योजनाओं की अनुमान्य श्रेणी **अनुलग्नक-2** के रूप में संलग्न है ।

iv **<u>उपरोक्त सभी का वार्डवार संकलन निर्धारित प्रपत्र में किया जायेगा ताकि वार्ड सभा से अनुमोदन प्राप्त किया जा सके ।</u>**

- ✓ वार्ड सभा की कार्यवाही से सम्बंधित प्रपत्र -3 की कंडिका 8(1) में सूचनाएं प्रपत्र -1 (वेसलाईन सर्वेक्षण श्रम बजट आकलन पंजी) के आधार पर संकलित की जायेगी ।
- ✓ वार्ड सभा से सम्बंधित प्रपत्र की कंडिका -8(2) अंतर्गत वर्तमान में पूर्व से चली आ रही योजनाओं का विवरणी योजना पंजी के आधार पर अंकित की जाएगी । सम्बंधित कॉलम-7 पूरानी योजनाओं को पूर्ण करने की संभावित तिथि (अतिशीघ्र) अंकित किया जायेगा । अगर योजनाओं को पूर्ण करने में कठिनाई हो तो इसे भी अंकित किया जायेगा ।
- ✓ वार्ड सभा की कार्यवाही से सम्बंधित प्रपत्र-3 की कंडिका 8 (3i) अंतर्गत सार्वजनिक भूमि पर प्रस्तावित योजनाओं को सूचीबद्ध किया जायेगा । इस प्रस्ताव में अनुलग्नक-1 एवं 2 पर दिए गए योजनाओं की श्रेणी के अनुसार कार्य श्रेणी को अंकित किया जायेगा । इस प्रपत्र की कंडिका 8(3ii) में निजी भूमि पर प्रस्तावित योजनाओं का विवरण वेस लाईन सर्वेक्षण के दौरान या वार्ड सभा के दौरान प्राप्त प्रपत्र-2 के आवेदनों के आधार पर भरी जायेगी ।
- ✓ अनुमानित मांग का आकलन, निजी भूमि पर कार्यों की सूची और व्यक्ति को सीधे लाभ पहुचाने वाले अन्य कार्यों की सूची तैयार करते समय कमजोर वर्ग के परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । गरीब तथा कमजोर वर्ग के परिवारों की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए अभिसरण आयोजन कार्यक्रम में SECC के स्वतः समावेशित एवं अपवर्जित परिवारों की सूची का उपयोग किया जायेगा ।
- ✓ योजना चयन करते समय इस बात पर विशेष ध्यान दें कि मनरेगा अंतर्गत चयन की जाने वाली योजनाओं में अधिक से अधिक कृषि एंव कृषि आधारित योजना हो जो भूमि, जल एवं वृक्षों के विकास से सम्बंधित हो जैसे-भूमि समतलीकरण, वृक्षारोपण, खेती के लिए नाला का निर्माण, नर्सरी आदि कार्य, क्षेत्र विशेष की भौगोलिक, जलवायु एवं प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए समरूप कार्य ताकि 60 प्रतिशत उपरोक्त वर्णित श्रेणी की योजनाओं में सुनिश्चित किया जा सके ।
- ✓ साथ ही योजनाओं का चयन करते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाये कि चयन की जाने वाली योजनाओं में अधिक से अधिक योजना प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (Natural Resource Management) यथा जल संरक्षण, वाटरशेड, वृक्षारोपण आदि से सम्बंधित हों ।
- ✓ मुजफ्फरपुर, मधुबनी, प0चंपारण, बेगूसराय, नालंदा, गया, बॉका एवं कटिहार में चयनित 35 Infrastructure for Climate Resilient Growth (ICRG) प्रखंडों में जलवायु अनुकूलन प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (Natural Resource Management) से सम्बंधित योजनाओं का चयन पर विशेष ध्यान दिया जाये ।

कंडिका i से iv तक के सभी कार्य पंचायत रोजगार सेवक के नेतृत्व में Block Planning Team (BPT) द्वारा कराया जायेगा । IPPE-2 के दौरान ,ग्रामीण आवास

सहायक, Community Co-coordinator (जीविका) आदि को Block Planning Team (BPT) के रूप में प्रशिक्षित किया गया था, वे BPT के रूप में उपरोक्त Planning Exercise में पंचायत रोजगार सेवक का सहयोग करेगें । जिला में कार्यरत CSO के सदस्य (जो स्वेच्छा से इसमें शामिल होना चाहते है) को Block Planning Team में शामिल किया जा सकता है।

- उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक ये सुनिश्चित करेगें कि ग्रामीण आवास सहायक, Community Co-coordinator (जीविका) आदि बेस लाइन सर्वेक्षण एवं Planning के कार्य में पंचायत रोजगार सेवक का सहयोग करे।

- वार्ड सभा की अध्यक्षता सम्बंधित वार्ड सदस्य करेंगे । वार्ड सभा में पंचायत रोजगार सेवक उपस्थित रहेंगे तथा संयोजित करेंगे । जिस ग्राम पंचायत में पंचायत रोजगार सेवक नहीं हैं उस पंचायत में वार्ड स्तर पर कराये जाने वाले Planning Exercise तथा वार्ड सभा का संचालन पंचायत सचिव द्वारा किया जायेगा।
- वार्ड स्तर पर सभी ग्रामीण परिवार के सदस्यों, विशेषकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी सम्बंधित वार्ड सदस्य एवं पंचायत रोजगार सेवक की होगी ।
- सभी वार्डों में वार्ड सभा के आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार यथा माइक द्वारा प्रचार, सार्वजनिक स्थल पर बैनर आदि लगाकर प्रचार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित किया जा सके ।
- वार्ड सभा के दौरान इच्छुक जॉबकार्डधारियों से वित्तीय वर्ष 2017-18 में शेष अवधि हेतु काम की मांग का संग्रह किया जाए साथ ही काम की मांग के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाये । ।
- वार्ड सभा में पंचायत रोजगार सेवक द्वारा मनरेगा अंतर्गत अनुमान्य योजना, विशेषकर निजी भूमि पर ली जानेवाली योजनाओं के बारे में उपस्थित जनसाधारण को विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी । संक्षिप्त जानकारी संलग्नक (**अनुलग्नक-3**) । इस सभा में पंचायत रोजगार सेवक द्वारा सुनाया जाएगा और बताया जाएगा कि जो भी पात्र जॉबकार्डधारी परिवार निजी भूमि पर मनरेगा अंतर्गत् कार्य करना चाहते हैं वे विहित आवेदन पत्र/(**प्रपत्र-2**) में अपना आवेदन पत्र वार्ड सभा के दौरान तक पंचायत रोजगार सेवक को उपलब्ध करा देंगे ताकि उनकी योजनाओं को शामिल किया जा सके । यह भी बताया जाएगा कि जो **<u>पात्र परिवार</u>**, बाद में निजी जमीन पर कार्य कराने का निर्णय लेते है तो वे कभी भी अपना आवेदन कार्यक्रम पदाधिकारी को दे सकते हैं। कार्यक्रम पदाधिकारी प्रत्येक आवेदन को पंजीकृत करके आवेदक को प्राप्ति रसीद देंगे।
- राज्य सरकार के सात निश्चय के अतंर्गत एक निश्चय हर धर नल का जल सम्मिलित है जिसके तहत राज्य के गामीण क्षेत्रों के हर घर में पेयजल की सुविधा गृह जल सेयोजन के माध्यम से प्रदान किया जाना है। इसी प्रकार केन्द्र प्रायोजित राष्टीय जल गुणवता सब-मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत आर्सेनिक एवं फलोराइड प्रभावित बसावटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना है । इन योजनओं के कार्यान्वयन के भूगर्भीय जल का

उपयोग बडे पैमाने पर होगा जिसके फलस्वरूप भूगर्भीय जल स्तर में गिरावट की संभावना भविष्य में हो सकती है। इस परिपेक्ष्य में आवश्यक है कि मनरेगा अंतर्गत भू-जल रिचार्ज एवं भू-जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चयन करने हेतु ग्रामीण समुदाय को प्रोत्साहित किया जाय।

- **वार्ड सभा द्वारा सामान्यत: निम्नवत कार्यावली के अनुसार विचार-विमर्श किया जाएगा।**

i. श्रम बजट बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा ।

ii. वार्डवार संकलित की गयी महात्मा गाँधी नरेगा का वित्तीय वर्ष 2018-19 श्रम बजट एवं कार्यो का अनुमोदन ।

iii. पूर्व से चल रही योजनाओं की स्थिति पर समीक्षा एवं पूर्ण करने का प्रस्ताव

iv. अन्यान्य।

✓ **वार्ड सभा की कार्यवाही का संधारण इसके लिए अलग से प्रिंट किए गए पंजी में किया जाएगा (वार्डसभा की कार्रवाई का नमूना प्रपत्र- 3 पर सुलभ प्रसंग हेतु दिया गया है)। सभी वार्ड की कार्रवाई के लिए एक ही पंजी होगी जिसमें वार्डवार पृष्ठ कर्णांकित होंगे। जिला स्तर से इन पंजियों का मुद्रण कराया जाएगा।**

✓ **प्रत्येक वार्ड सभा का आयोजन यथा संभव वार्ड में उपलबध किसी सार्वजनिक स्थान पर किया जाएगा।**

वार्डसभा से पारित श्रम बजट एवं कार्यों की सूची को ग्राम पंचायत कार्यकारणी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। ग्राम पंचायत कार्यकारणी की बैठक दिनांक 18.11.2017 को होगी, जिसमें वार्डों द्वारा पारित श्रम बजट / योजनाओं पर विचार कर ग्राम पंचायत का समेकित श्रम बजट एवं प्रारूप प्राथमिकता सूची तैयार की जायेगी । इस क्रम में यह प्रयास करना चाहिए कि हर वार्ड की योजनाएं सामान आधार पर समावेशित हों ।

10. 20, 21 एवं 22 नवम्बर 2017 को सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा । प्रतिदिन एक प्रखंड की सामान्यत: एक तिहाई ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित की जाय ग्राम सभा द्वारा सामान्यत: निम्नवत कार्यावली के अनुसार विचार-विमर्श किया जाएगा :-

i. ग्राम पंचायत द्वारा तैयार वित्तीय वर्ष 2018-19 का मनरेगा का श्रम बजट एवं कार्यो का प्रारूप प्राथमिकता सूची तथा इस पत्र के कंडिका 11, 12, 13, एवं 14 के अनुपालन में तैयार माननीय सांसद/विधायक/विधान परिषद/जिला परिषद/पंचायत समितियों/लाईन विभागों के स्तर से प्राप्त कार्यो के प्रस्तावों पर भी **20, 21 एवं 22 नवम्बर** 2017 को निर्धारित ग्राम सभा में विचार किया जाएगा । इनको पंचायत सचिव/पंचायत रोजगार सेवक द्वारा ग्राम सभा के समक्ष रखा जायेगा । ग्राम सभा में इनको पढ़कर सुनाया जायेगा और ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों से हर योजना की प्राथमिकता सूची पर राय प्राप्त की जाएगी । ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों द्वारा अगर कोई नई योजना संज्ञान में लाई जाती है (वार्ड सभा

द्वारा अनुमोदित योजनाओं से भिन्न) तो ऐसी योजनाओं को भी शामिल किया जा सकेगा एवं योजना को आवश्यकतानुसार हटाया भी जा सकेगा। तत्पश्चात् योजनाओं के प्राथमिकता का निर्धारण करते हुए ग्राम सभा उनका अनुमोदन करेगी तथा श्रम बजट का भी अनुमोदन करेगी।

✓ **ग्राम सभा की कार्यवाही का संधारण प्रपत्र 4 के अनुसार इसके लिए अलग से प्रिंट किए गए पंजी में किया जाएगा। जिला स्तर से इन पंजियों का मुद्रण कराया जाएगा।**

11. विदित हो कि अन्य कार्यान्वयन निकायों यथा- पंचायत समिति, जिला परिषद्, सरकार के विभिन्न लाईन विभाग यथा- पर्यावरण एवं वन विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, कृषि विभाग, पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, समाज कल्याण विभाग आदि से भी योजनाएं प्राप्त कर ससमय ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करा दी जानी है ताकि 20,21 एवं 22 नवम्बर 2017 को निर्धारित ग्राम सभा में इनपर विचार हो सके। इसके लिए जरूरी है कि संबंधित विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी से मनरेगा के अनुमान्य योजनाओं को ससमय प्राप्त कर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करा दी जाए। जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा अंतर्गत योजनाओं का प्रस्ताव लाईन विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों से 15.11.2017 से पहले बैठक कर प्राप्त कर ग्राम पंचायतों को कार्यक्रम पदाधिकारियों के माध्यम से हस्तगत करा देंगे ताकि ग्रामसभा की बैठक में इनपर भी विचार हो सके। जिला पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सभी संबंधित सरकारी विभागों को अनिवार्य रूप से प्रस्ताव प्राप्त कर ग्रामसभा में रखने हेतु ससमय भेज दिया जाए। लाईन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी को परामर्श दिया जाए कि वे सुविधानुसार स्वयं ग्रामसभा में भाग लेकर अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को वार्षिक कार्य योजना में शामिल करायें।

12. जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के सदस्य नियमानुसार / सुविधानुसार वार्ड सभा / ग्रामसभा की बैठक में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनके क्षेत्र की आवश्यकताओं को समावेशित करने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति एवं उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद क्रमश: पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद सदस्यों से उनके क्षेत्र में पड़नेवाले पंचायतों की महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची लेकर कार्यक्रम पदाधिकारी के माध्यम से संबंधित पंचायत रोजगार सेवक को अनिवार्य रूप से दिनांक 15.11.2017 तक उपलब्ध करा देंगे।

13. वार्ड सभा एवं ग्रामसभा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक अपने स्तर से सभी माननीय सांसदों, विधायकों एवं विधान परिषदों, जिला कार्यक्रम समन्वयक समिति के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष को ससमय उपलब्ध करा देंगे और उन्हें ग्रामसभा की कार्रवाई में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेंगे। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से कार्यक्रम की विवरणी अध्यक्ष / उपाध्यक्ष प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को देंगे। जिला कार्यक्रम समन्वयक अपने जिले के सभी माननीय सांसदों, विधायकों एवं विधान परिषदों से उनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित योजनाओं की सूची प्राप्त कर उसे भी दिनांक 15.11.2017 तक उपलब्ध करा देंगे। ग्रामसभा क्षेत्र के अधीन निवास करनेवाले ग्रामसभा सदस्यों को ग्रामसभा आयोजन की तिथि समय एवं स्थान के संबंध में सूचना निर्गत करने एवं प्रचार-प्रसार का कार्य संबंधित पंचायत सचिव द्वारा बिहार

ग्रामसभा (बैठक के संयोजक एवं संचालन की प्रक्रिया) नियमावली 2011 के नियम 5 के अधीन किया जाएगा ।

14. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **मनरेगा एवं प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)** के अभिसरण से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन फ्रेम वर्क के तहत कार्यान्वित की जाने वाली योजना के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है । जिन जिलों में प्रधान मंत्री सिंचाई योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, वहॉ जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगें कि महात्मा गॉधी नरेगा, IWMP तथा प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना को समन्वय कर District Irrigation Plan (DIP) तैयार किया गया हो ताकि उपरोक्त योजनाओं के अभिसरण से योजनाओ को कार्यान्वित किया जा सके । जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाईन विभाग के पदाधिकारियों की बैठक बुला कर यह समीक्षा कर लें कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए तैयार किया गया/किया जाने वाला District Irrigation Plan (DIP) में मनरेगा का प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (Natural Resource Management) से संबंधित योजनाओं को शामिल किया गया है अथवा नहीं । अगर शामिल नहीं किया गया है तो उक्त (NRM) श्रेणी की योजनाओं District Irrigation Plan (DIP) में शामिल कराना सुनिश्चित करेगें । मनरेगा योजना के साथ तैयार किया गया District Irrigation Plan (DIP) को आयोजित होने वाले ग्राम सभा से अनुमोदित कराया जायेगा । अगर District Irrigation Plan (DIP) में शामिल मनरेगा की योजना एक से अधिक ग्राम पंचायतों से संबंधित हो तो उन सभी ग्राम पंचायत के ग्राम सभा में District Irrigation Plan (DIP) को अनुमोदित कराया जायेगा । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Most irrigation Deprived District in India में बिहार के सात जिले बेगूसराय, दरभंगा, जमुई, खगडिया, मधेपुरा, पूर्णिया, समस्तीपुर शामिल है । इन जिलों के संबंध में निदेश दिया गया है कि वार्षिक कार्य योजना के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (Natural Resource Management) से सम्बंधित कार्य अधिक संख्या में शामिल किया जाय ताकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा अंतर्गत इन जिलों में किये जाने वाले कुल व्यय का 65 प्रतिशत NRM श्रेणी की योजनाओं में हो । महात्मा गॉधी नरेगा एवं IWMP के अभिसरण से चयन की जाने वाली योजना, Prioritizing Works of Command Area Development and Water Management (CAD & WM) तथा कुँओं के निर्माण हेतु चयन की जाने वाली योजना के संबंध में प्रासंगिक पत्र में दिशा निर्देश दिये गये है । उक्त निदेश का पालन करते हुए योजनाओं को चयन किया जाय तथा ग्राम सभा से अनुमोदित कराना सुनिश्चित किया जाय ।(दिश- निर्देश संलग्न)

15. ग्रामसभा संबंधित ग्राम पंचायत के मुख्यालय में पंचायत भवन/पंचायत सरकार भवन या किसी अन्य सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान पर ही आयोजित की जाए। यह किसी निजी मकान या स्थान पर आयोजित नहीं होगी । ग्राम पंचायत के मुख्यालय से अलग स्थान पर ग्रामसभा आयोजन की सूचना मिलने पर संबंधित मुखिया एवं पंचायत सचिव दोषी माने जाएंगे एवं विधिसम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे। ग्रामसभा की विडियो रिकार्डिंग अनिवार्य रूप से की जाए। इसकी डी0वी0डी0 बनाकर इसकी प्रतियॉ जिला स्तर पर संधारित की जाए । ग्रामसभा में माईक इत्यादि की व्यवस्था निश्चित रूप से की जाए ।

16. ग्रामसभा में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि मुखिया/उनकी कार्यकारिणी के सदस्य एक साथ बैठे, उनसे सटे हुए परंतु अलग पंचायतों के अन्य निर्वाचित सदस्यों, जो उपस्थित

हों, के बैठने की व्यवस्था हो तथा ग्राम के लोग इनके आमने-सामने बैठे । प्रखंड विकास पदाधिकारी / कार्यक्रम पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य/सदस्यों को ग्राम सभा के आयोजन से संबंधित लिखित आमंत्रण कम-से-कम सात दिन पूर्व अवश्य दे दिया जाए । ग्राम सभा की कार्यवाही को देखने हेतु आमंत्रित प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद, विधायक, विधान पार्षद्, जिला परिषद् अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, प्रमुख एवं उप प्रमुख तथा पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पदाधिकारियों की बैठने की समुचित व्यवस्था ऐसे स्थान पर हो कि पूरी सभा की कार्रवाई दिखे ।

17. ग्रामसभा किसी योजना को जोड़ने, हटाने संशोधित करने एवं उनकी प्राथमिकता बदलने हेतु सक्षम है । ग्राम सभा का बहुमत से समर्थन मिलने पर प्रस्ताव मान्य हो जाएगा एवं वह वार्षिक कार्य योजना का भाग हो जाएगा । ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार प्रारूप प्राथमिकता सूची का संशोधन कर ग्राम सभा की अंतिम प्राथमिकता सूची ग्राम सभा में ही पारित की जाएगी ।

18. ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी द्वारा ग्राम सभा द्वारा पारित अंतिम प्राथमिकता सूची को अनुमोदित कर विधिवत कार्यक्रम पदाधिकारी को दिनांक 25.11.2017 तक उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें निम्न होंगे

i. वार्ड सभा की कार्यवाही पंजी
ii. ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित अंतिम प्राथमिकता सूची (सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार की योजनाएं)
iii. श्रम बजट आकलन पंजी एवं सार । (कार्य की मांग का संकलन प्रपत्र-4 (कंडिका 8.1) में किया जायेगा)

✓ इन सभी अभिलेखों की छायाप्रति भेजी जायेगी एवं मूल प्रति ग्राम पंचायत में रखी जाएगी।

19 कार्यक्रम पदाधिकारी प्राप्त कार्य योजना की तकनिकी संवीक्षा मार्गदर्शिका के अनुसार करेंगे (**कार्यक्रम पदाधिकारी को वार्षिक योजनाओं की उन मानदंडों के आधार पर जाँच करनी होती है कि क्या ये कार्य अनुमेय कार्यों की सूची के अंतर्गत आते है और क्या समग्र मजदूरी सामग्री अनुपात बनाए रखा गया है**) तथा सूची को समेकित कर पंचायत समिति के सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष दिनांक 29.11.2017 को उपस्थापित करेंगे। दिनांक 30.11.2017 को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पंचायत समिति की बैठक का आयोजन किया जायेगा । पंचायत समिति स्तर से कार्यान्वित होने वाली अंतर पंचायत की योजना को पंचायत समिति की बैठक में शामिल किया जायेगा तथा इसकी प्राथमिकता सूची ग्राम सभा से अनुमोदित योजनाओं से अलग होगी । प्रखंड क्षेत्र के कार्ययोजना(ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित योजना + पंचायत समिति स्तर पर सम्मलित अंतर पंचायत की योजना) एवं श्रम बजट का अनुमोदन उक्त पंचायत समिति की बैठक की जाएगी ।

20. पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित कार्य योजना प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरोपरान्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को दिनांक 02.12.2017 तक भेजी जाए ।

21. **कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्रखंड क्षेत्र के कार्ययोजना से सम्बंधित प्रस्तुतिकरण जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष करेंगे । यह प्रस्तुतिकरण ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार**

द्वारा प्रेषित किये गए Format में होगा (प्रपत्र - 5) के अनुसार किया जायेगा । यह कार्य दिनांक 15.12.2017 तक पूरा किया जायेगा ।

22. जिला परिषद् की बैठक दिनांक 20.12.2017 को आयोजित की जायेगी। जिला परिषद् से कार्यान्वित होने वाली अंतर प्रखण्ड की योजना को इस बैठक में शामिल किया जायेगा तथा इसकी प्राथमिकता सूची प्रखंड क्षेत्र के कार्य योजना से अलग होगीं । जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद की बैठक आयोजित कराकर जिले की कार्य योजना(ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित योजना + पंचायत समिति स्तर पर सम्मलित अंतर पंचायत की योजना+ जिला परिषद् स्तर पर सम्मलित अंतर प्रखंड की योजना) एवं श्रम बजट अनुमोदित करायेंगे ।

23. **जिला कार्यक्रम समन्वयक , जिला के कार्ययोजना से सम्बंधित प्रस्तुतीकरण सचिव ग्रामीण विकास विभाग के समक्ष करेंगे । यह प्रस्तुतिकरण ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा प्रेषित किये गए Format में होगा (प्रपत्र - 5) के अनुसार किया जायेगा । यह कार्य दिनांक 20.01.2018 तक पूरा किया जायेगा ।**

24. जिला कार्यक्रम समन्वयक इस विषय पर ध्यान देंगे कि जिला स्तर पर अनुमोदन के लिए, ग्राम पंचायतों के अलावा अन्य एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले सभी सुनियोजित कार्यों में मजदूरी सामग्री अनुपात की गणना पूरे जिले को एक इकाई मानते हुए की जायेगी । अधिनियम में हुए अद्यतन संशोधन के अलोक में जिले में सभी ग्राम पंचायतों और अन्य सभी क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित किए गए कार्यों में समग्र रूप से 60:40 के मजदूरी तथा श्रम अनुपात को बनाये रखा जायेगा ।

25. प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यक्रम पदाधिकरी संयुक्त रूप से प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्यों सभी पंचायतों के मुखिया वार्ड सदस्यों, पंचायत रोजगार सेवक एवं पंचायत सचिवों को इस अभियान के बारे में जानकारी देंगे ।

26. प्रखंड स्तर पर इस Planning Exercise का नेतृत्व कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। वह यह सुनिश्चित करेंगे की Planning Exercise में सभी प्रक्रियाओं का नियमानुसार पालन किया जा रहा है तथा सभी पंचायत रोजगार सेवक एवं अन्य कर्मी दिए गए दायित्व के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्धारित तिथि को वार्ड में, वार्ड सभा में तथा ग्राम सभा में उपस्थित रहेंगे।

27. प्रपत्र- 2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 का मुद्रण जिला स्तर से कराया जायेगा तथा इसका व्यय जिला के मनरेगा के आकस्मिकता मद से किया जायेगा । अनुलग्नक 1, 2 एवं 3 एवं प्रपत्र -1 आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा मुद्रण कराया जायेगा तथा इस पर होने वाले व्यय का वहन प्रखंड स्तर पर मनरेगा के आकस्मिकता मद से किया जायेगा।

28. **जिला स्तर से अनुश्रवण**

- जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम समन्वयक की अध्यक्षता में इस पूरी नियोजन प्रक्रिया के अनुश्रवण हेतु जिला में जिला अनुश्रवण कोषांग का गठन करते हुए इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे ।
- जिला अनुश्रवण कोषांग प्रतिदिन नियोजन प्रक्रिया की प्रगति से जिला पदाधिकारी को अवगत करायेंगे । सम्बंधित जिला के जिला पदाधिकारी/उपविकास आयुक्त, राज्य में गठित, राज्य अनुश्रवण कोषांग को नियोजन प्रक्रिया का प्रगति प्रतिवेदन misrddbihar@gmail.com पर ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे ।

- ग्रामसभा की बैठक में जिला पदाधिकारी हर पंचायत में एक प्रतिनिध को अनिवार्य रूप से भेजेंगे जो समुचित मार्गदर्शन के साथ-साथ ग्राम सभा की कार्यवाही के संबंध में लिखित प्रतिवेदन देंगे ।

29. ग्राम सभा में अनुमोदित श्रम बजट एवं कार्यो को नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में अलग से दिश- निर्देश भेजी जाएगी ।

30. ग्राम सभा से संबंधित लिखित शिकायत / सूचना ग्रामीण विकास विभाग के नियंत्रण कक्ष के फैक्स संख्या-0612-2217857 पर अथवा संबंधित जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त / अनुमंडल पदाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी / कार्यक्रम पदाधिकारी को दी जा सकती है । misrddbihar@gmail.com पर भी लिखित शिकायत / सूचना दी जा सकती है । कृपया इसका भी प्रचार-प्रसार किया जाए । ग्राम सभा के आयोजन के संबंध में किसी संशय के समाधान के लिए अथवा इसे और प्रभावी बनाने से संबंधित सुझाव देने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों / कर्मियों / जन प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित किया जाए ।

कृपया उपरोक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

अनुलग्नक-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

25/9/2017

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सचिव ।

बेस लाइन सर्वेक्षण हेतु श्रम बजट आकलन पंजी 2018-19

प्रपत्र 1

जिला का नाम- प्रखंड का नाम- ग्राम पंचायत का नाम

क्रम सं0	परिवार के मुखिया का नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी (अनु. जाति/जनजाति/अन्य)	लिंग	उम्र	जॉब कार्ड का संख्या एवं निर्गत करने की तिथि	इंदिरा आवास / प्रधान मंत्री अवास योजना के लाभार्थी	भूमि सुधार लाभार्थी	SECC ID	क्या मनरेगा में कार्य करने के इच्छुक है हाँ/ नहीं	माह	दिनों की संख्या	माह	दिनों की संख्या	माह	दिनों की संख्या	निजी जमीन पर कार्य करने के इच्छुक है तो कार्य का प्रकार से संबंधित कोड दे	हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	महबूब आलम	आयस	Oth	M	25	BH-41-006-002-00589700/1 15/08/2006													

नोट- क्रमांक 18 से संबंधित कोड ।

कोड-कार्य का प्रकार

1A	निजि तालाब
1B	सिंचाई सुविधा (निजि कूप आदि)
1C	बागवानी
1D	वृक्षारोपण
1E	मेढ़बंधन (खेत बांध)
1F	भूमि विकास का उपबंध
2A	एनएडीइपी कपोंस्टिग (NADEP)
2B	वर्मी कम्पोस्टिंग
2C	लिक्विड बायो-मेन्योर
3A	कुक्कुट आश्रय स्थल
3B	बकरी आश्रय स्थल
3C	मवेशियों के लिए पक्का पर्श, यूरीन टैंक नाद का निर्माण
3D	अजोला जैसा पशु भोजन संपूरक
4A	मछली शुष्कन (सुखाने) यार्ड
4B	बेल्ट बेजिटेशन जैसे संकर्म
5	व्यक्तिगत घरेलू पखाने (शौचालय)

श्रम बजट अनुमान पंजी तैयार करने की प्रक्रिया

Step-1 MIS से संबंधित पंचायत के पेज पर जायें

Step-2 Registers में Registration application register को क्लिक करें । आपको उक्त पंचायत का ग्रामवार सूची मिलेगी

Step-3 इस सूची को MS Excel पर कॉपी करें ।

Step-4 सूची में से परिवार के मुखिया को छोड़कर अन्य सदस्यों के नाम के Rows को Delete कर दें ।

Step-5 उपर दिय गये प्रपत्र के अनुसार सूची को आवश्यक संशोधन कर तैयार करें । जिसमें 8-20 आपको लिखने होंगे ।

Step-6 कॉलम 12 और 13 को बारह माह के लिए आवश्यकता अनुसार विस्तार किया जाये ।

Step-7 तदनुसार प्रिंट आउट लेकर पंजी तैयार करें ।

मनरेगा के अंतर्गत निजी/वास भूमि पर कार्य के लिए आवेदन प्रपत्र

प्रपत्र-2

भाग-1

1. नाम -
2. पिता/पति का नाम -
3. वार्ड सं0 -
4. ग्राम -
5. ग्राम पंचायत का नाम -
6. प्रखंड का नाम -
7. आवेदक की श्रेणी अनु0जा0 [ ] अनु0जन जा0 [ ] पिछड़ा [ ] अति पिछडा [ ] अन्य [ ]
8. आवेदक की जाति - 9. जॉब कार्ड संख्या -
10. SECC-ID (यदि हो तो) -
11. अन्य सूचनाऐं (क) भूमि सुधार लाभार्थी (पर्चाधारी) [ ]
    (ख) इंदिरा आवास/प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी [ ]
    (ग) लघु या सीमांत कृषक [ ]
12. निजी वास भूमि की विवरणी जिस पर उपरोक्त कार्य करना प्रस्तावित है

खाता सं0		खेसरा सं0	मौजा	रकवा
चौहदी	पू0	प0		
	उ0	द0		

13. प्रस्तावित कार्य का विवरण
14. आवेदक का वर्ममान व्यवसाय
15. प्रस्तावित कार्य संबंधी अनुभव

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना सही है एवं मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह आवेदन पत्र समर्पित कर रहा हूँ। मैंने मनरेगा के अंतर्गत निजी/वास भूमि पर किए जाने वाले कार्यो से संबंधित पूरी जानकारी हासिल करने के उपरांत आवेदन पत्र भरा है । मैं मनरेगा की मार्गदर्शिका के अनुरूप अपने निजी/वास भूमि पर कार्य कराने की लिए इच्छुक हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

भाग-2

पंचायत रोजगार सेवक का सत्यापन

आवेदन में वर्णित उपरोक्त सूचनाओं का सत्यापन किया और सही पाया ।

पंचायत रोजगार सेवक का पूरा नामः-

पंचायत रोजगार सेवक का हस्ताक्षर

....

प्राप्ति रसीद

श्री/श्रीमति............................ पिता/पति ....वार्ड सं0 .... ग्राम .... पंचायत ....जॉब कार्ड संख्या....................... का निजी भूमि पर कार्य हेतु आवेदन दिनांक .... को प्राप्त हुआ । इसके प्रमाण स्वरूप यह रसीद दी जा रही है ।

वार्ड सभा की कार्यवाही के लिए पंजी का प्रपत्र :-

मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2018-19 का श्रम बजट एवं कार्य योजना बनाने हेतु वार्ड सभा की बैठक की कार्यवाही :-

1. वार्ड संख्या............................ 2. वार्ड सभा की तिथि......................3. वार्ड सभा का स्थान ....

4. अध्यक्ष का नाम .... 5. उपस्थित मनरेगा कर्मी/कर्मियों का नाम एवं पदनाम ....

6. उपस्थित सरकारी सेवक का नाम ....

7. वार्ड सभी में उपस्थिति (व्यक्तियों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान हेतु स्थान रखें) :-

क्र0 सं0	वार्ड सभा में उपस्थित सदस्यों का नाम	जॉब कार्ड संख्या (यदि हो तो)	हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
1	2	3	4

8. वार्ड सभा द्वारा पारित प्रस्ताव :-

(1) बेसलाईन सर्वेक्षण के आधार पर श्रम बजट के संबंध में प्रस्ताव :-

क्र0 सं0	माह	अनुमानित काम मॉगने वाले परिवारों की संख्या	अनुमानित मानव दिवस की संख्या	अनुमानित व्यय (लाख में)	100 दिन काम मांगने वाले अनुमानित परिवारों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	अप्रैल				
2	मई				
3	जून				
4	जुलाई				
5	अगस्त				
6	सितम्बर				
7	अक्टूबर				
8	नवम्बर				
9	दिसम्बर				
10	जनवरी				
11	फरवरी				
12	मार्च				

नोट :- क्रमांक 3, 4, 5 एवं 6 में उक्त माह तक समेकित (Cumulative) संख्या अंकित की जाएगी ।

(2) (i) वर्तमान में कार्यरत सार्वजनिक परिसम्पतियों से संबंधित योजनाओं की समीक्षा :-

क्र0सं0	योजना का नाम	योजना प्रारंभ की तिथि	मानव दिवस			योजना पूर्ण करने की संभावित तिथि एवं वार्ड सभा का प्रस्ताव
			प्राक्कलित	सृजित	अवशेष	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

क्र0सं0	योजना का नाम	योजना प्रारंभ की तिथि	मानव दिवस			योजना पूर्ण करने की संभावित तिथि एवं वार्ड सभा का प्रस्ताव
			प्राक्कलित	सृजित	अवशेष	
1	2	3	4	5	6	7
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
कुल						

(ii) वर्तमान में कार्यरत निजी भूमि योजनाओं की समीक्षा :-

क्र0सं0	योजना का नाम	योजना प्रारंभ की तिथि	मानव दिवस			जॉब कार्डधारी का नाम/जॉब कार्ड संख्या	योजना पूर्ण करने की संभावित तिथि एवं वार्ड सभा का प्रस्ताव
			प्राक्कलित	सृजित	अवशेष		
1	2	3	4	5	6		7
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

क्र0सं0	योजना का नाम	योजना प्रारंभ की तिथि	मानव दिवस			जॉब कार्डधारी का नाम/जॉब कार्ड संख्या	योजना पूर्ण करने की संभावित तिथि एवं वार्ड सभा का प्रस्ताव
			प्राक्कलित	सृजित	अवशेष		
1	2	3	4	5	6		7
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
कुल							

(3) वर्ष 2018-19 में ली जाने वाली नई योजनाएं संबंधी प्रस्ताव

i. <u>सार्वजनिक परिसम्पतियों के संबंध में वार्ड सभा का प्रस्ताव</u> :-

क्र0सं0	कार्य श्रेणी	कार्य का कोड	प्रस्तावित योजना का नाम	अनुमानित श्रम दिवस	अनुमानित राशि		कुल राशि
					श्रम	सामग्री	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

क्र0सं0	कार्य श्रेणी	कार्य का कोड	प्रस्तावित योजना का नाम	अनुमानित श्रम दिवस	अनुमानित राशि		कुल राशि
					श्रम	सामग्री	
1	2	3	4	5	6	7	8
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
कुल							

ii. निजी भूमि से संबंधित कार्य के संबंध में वार्ड सभा का प्रस्ताव :-

क्र0सं0	जॉब कार्डधारी का नाम	जॉब कार्ड संख्या	कार्य का कोड	प्रस्तावित योजना का नाम	अनुमानित श्रम दिवस	अनुमानित राशि		कुल राशि
						श्रम	सामग्री	
1	2		3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

क्र0सं0	कार्य श्रेणी	कार्य का कोड	प्रस्तावित योजना का नाम	अनुमानित श्रम दिवस	अनुमानित राशि		कुल राशि
					श्रम	सामग्री	
1	2	3	4	5	6	7	8

4. माहवार संभावित मानव दिवस सृजन

क्र0 सं0	माह	वर्तमान में कार्यरत योजनाओं में अवशेष श्रम दिवस		वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित योजनाओं में अनुमानित श्रम दिवस		कुल श्रम दिवस
		सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी	
1	2	3		4		5
1	अप्रैल					
2	मई					
3	जून					
4	जुलाई					
5	अगस्त					
6	सितम्बर					
7	अक्टूबर					
8	नवम्बर					
9	दिसम्बर					
10	जनवरी					
11	फरवरी					
12	मार्च					

(पंचायत रोजगार सेवक)

(वार्ड सदस्य)

ग्राम सभा की कार्यवाही के लिए पंजी का प्रपत्र :-

मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2018-19 का श्रम बजट एवं कार्य योजना बनाने हेतु वार्ड सभा की बैठक की कार्यवाही :-

1. ग्राम पंचायत का नाम .... 2. ग्राम सभा की तिथि............................ 3. ग्राम सभा का स्थान ....

4. अध्यक्ष का नाम .... 5. उपस्थित मनरेगा कर्मी/कर्मियों का नाम एवं पदनाम ....

6. उपस्थित सरकारी सेवक का नाम ....

7. ग्राम सभा में उपस्थिति (व्यक्तियों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान हेतु स्थान रखें) :-

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों का नाम	जॉब कार्ड संख्या (यदि हो तो)	हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
1	2	3	4

8. ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव :-

(1) बेसलाईन सर्वेक्षण के आधार पर श्रम बजट के संबंध में प्रस्ताव :-

(वार्ड वार अनुमोदित प्रस्ताव के आधार पर)

क्र0 सं0	माह	अनुमानित काम मॉगने वाले परिवारों की संख्या	अनुमानित मानव दिवस की संख्या	अनुमानित व्यय (लाख में)	100 दिन काम मांगने वाले अनुमानित परिवारों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	अप्रैल				
2	मई				
3	जून				
4	जुलाई				
5	अगस्त				
6	सितम्बर				
7	अक्टूबर				
8	नवम्बर				
9	दिसम्बर				
10	जनवरी				
11	फरवरी				
12	मार्च				

नोट :- क्रमांक 3, 4, 5 एवं 6 में उक्त माह तक समेकित (Cumulative) संख्या अंकित की जाएगी ।

(2) (i) ग्राम पंचायत में वर्तमान में कार्यरत सार्वजनिक परिसम्पतियों से संबंधित योजनाओं की समीक्षा :-

क्र0सं0	योजना का नाम	योजना प्रारंभ की तिथि	मानव दिवस			योजना पूर्ण करने की संभावित तिथि एवं ग्राम सभा का प्रस्ताव
			प्राक्कलित	सृजित	अवशेष	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

क्र0सं0	योजना का नाम	योजना प्रारंभ की तिथि	मानव दिवस			योजना पूर्ण करने की संभावित तिथि एवं ग्राम सभा का प्रस्ताव
			प्राक्कलित	सृजित	अवशेष	
1	2	3	4	5	6	7
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
कुल						

(ii) ग्राम पंचायत में वर्तमान में कार्यरत निजी भूमि योजनाओं की समीक्षा :-

क्र0सं0	योजना का नाम	योजना प्रारंभ की तिथि	मानव दिवस			जॉब कार्डधारी का नाम/जॉब कार्ड संख्या	योजना पूर्ण करने की संभावित तिथि एवं ग्राम सभा का प्रस्ताव
			प्राक्कलित	सृजित	अवशेष		
1	2	3	4	5	6		7
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

क्र0सं0	योजना का नाम	योजना प्रारंभ की तिथि	मानव दिवस			जॉब कार्डधारी का नाम/जॉब कार्ड संख्या	योजना पूर्ण करने की संभावित तिथि एवं ग्राम सभा का प्रस्ताव
			प्राक्कलित	सृजित	अवशेष		
1	2	3	4	5	6		7
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
कुल							

3. वर्ष 2018-19 में सार्वजनिक एवं निजी भूमि से संबंधित कार्य के संबंध में ग्राम सभा का प्रस्ताव :-

क्र0सं0	कार्य श्रेणी	सार्वजनिक/निजी	कार्य का कोड	प्रस्तावित योजना का नाम	अनुमानित श्रम दिवस	अनुमानित राशि		कुल राशि
						श्रम	सामग्री	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								

4. ग्राम पंचायत का माहवार संभावित मानव दिवस सृजन

क्र0 सं0	माह	वर्तमान में कार्यरत योजनाओं में अवशेष श्रम दिवस		वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित योजनाओं में अनुमानित श्रम दिवस		कुल श्रम दिवस
		सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी	
1	2	3		4		5
1	अप्रैल					
2	मई					
3	जून					
4	जुलाई					
5	अगस्त					
6	सितम्बर					
7	अक्टूबर					
8	नवम्बर					
9	दिसम्बर					
10	जनवरी					
11	फरवरी					
12	मार्च					

(पंचायत रोजगार सेवक)

(मुखिया)

प्रपत्र -5

PART-I (Performance)

1. **General Profile of the District/ Block**
   - District / Block profile –Geographical, economic ,administrative
   - SECC Data
     - Automatic Inclusion
     - Deprivations
     - Casual Manual Labour (CML) and their Job Card Status
   - Demography
     - SC Population
     - ST Population
   - Drought/Flood status of the District/Block
     - Frequency of droughts and provisions of additional 50 days (Year wise inn last 5 Years) and No.of Blocks affected .

2. **Status of MGNREGA implementation- Physical for FY 2014-15,FY 2015-16,FY 2016-17 and FY 2017-18** (End of November)- Comparative Snap shot
   - Registered HHs
     - Total
     - Active
   - Total Persondays generation
     - Women(number and percentage)
     - SC(number and percentage)
     - ST(number and percentage)
   - HHs provided at least 100 days of Employment
   - HHs provided more than 100 days of Employment.
     - FRA
     - Drought
     - Others
   - Active Job Card Holders
     - Women(number and percentage)
     - SC(number and percentage)
     - ST(number and percentage)
   - Average Persondays per HH
   - GPs with NIL Persondays

3. **Work Details for FY 2016-17 and FY 2017-18 (End of November)**
   - Total Works taken up since inception and during FY 2016-17 and FY 2017-18 (end of November)
   - Status of Completion of Works
     - Total Works completed since inception- number and percentage

प्रपत्र -5

- Works started and completed in FY 2016-17 and FY 2017-18 (end of November)

- Expenditure on Agriculture and allied Work- Figure and percentage; number of Blocks below 60%)
- Natural Resource Management (NRM) related work (Community + individual both) (number and %age; number of Blocks below 60%)
- Irrigation potential created through NRM works (in hectare)
- Plantation
  - Roadside Plantation (Length, percentage against commitment,Blocksbelow 60%)
  - Plantation on Nahar/ Nadi Tat bandh (Length, percentage against commitment, Blocks below 60%)
  - Plantation of Individual Lands bandh (Hectare, percentage against commitment, Blocksbelow 60%)
  - Block Plantation (In hectares)

- Individual Assets
  - Vermi/NADEP Compost
  - Farm Pond
  - Cattle/Poultry/Goat/Piggery Sheds
- Aangan Wadi Centres (AWC) (Target,Completed,Ongoing)
- Category- A,B ,C and D wise
  - Expenditure (Actual in lakhsand percentage)
  - Number of Works (Actual in lakhs and percentage)

4. Financial Details

- Total Available Funds including other receipts (in Lakhs)
- Total Expenditure (in lakhs)
  - Wage percentage
  - Material percentage
  - Admin percentage
- Average Wage rate per personday
- Average Cost per person day
- Administrative Expenditure
  - Total Expenditure
    - District (amount in lakhs and percentage of total expenditure on admin)
    - Block (amount in lakhs and percentage of total expenditure on admin)
    - GP (amount in lakhs and percentage of total expenditure on admin)
  - Expenditure on Salary (amount in lakhs and percentage of total expenditure on Admin)
    - District
    - Block
    - GP

- Expenditure on other heads to be listed with amount in lakhs and percentage of total expenditure on admin

5. Status of Roll out of Geo MGNREGA and Janmanrega

- Status of Geo Tagging of Assets
  - Assets generation
  - Assets Geotagged
- Status of Registration of MSEs

6. Status of Delay in Payment of Wages

- Delay in wage payment (crediting into account of beneficiary) after 15 days
- Delay compensation paid

7. Status of Social Audit

- Social Audit Conducted (No.of GPs covered; percentage) and Action Taken Report

8. Status of eFMS Universalization

- Percentage of wage expenditure through eFMS/NeFMS
- Percentage of material expenditure through eFMS
- Percentage of admin expenditure through eFMS

9. Status of Direct Benefit Transfer

- Status of balance Aadhaar Number to be seeded
- Status of balance ABP Conversion to be done
- Status of DLCC meetings and reconciliation with LDMs of consent forms shared with Banks for ABP Conversion

10. Status of Barefoot Technicians (BFTs) training and deployment

- Trained against target
- Deployment of trained BFTs

11. Deployment of Technical Personnels

- Technical Assistant(Number; average number of GPs under one TA's supervision)(Sanctioned Post Vs Present Posting Status)
- Junior Engineer(Sanctioned Post Vs Present Posting Status)
- Assistant Engineer (Sanctioned Post Vs Present Posting Status)
- Executive Engineer (Sanctioned Post Vs Present Posting Status)

12. Capacity building of Technical Personnels –DTRT & BTRT Trainings

- District Technical Resource Team (DTRT) persons trained against target
- Block Technical Resource Team (BTRT) persons trained against target

13. Mapping of Manual Casual Labour as per SECC

- Number of Casual Manual Labour identified as per SECC
- Number of Causal Manual Labour Category households contacted for registration for Job Card, New Job Cards issued and refusals.
- Total number of casual Manual Labourer Households with Job Card

प्रपत्र -5

14. Status of Job Card Verification
- Total
- Active

15. Deployment of 7 Registers
- GPs Covered

16. Status of compliance of audit observations of C & AG
- Para wise Status

17. Action taken on NLM report
- Number of Visits /reports
- Observations complied with
- Observations pending for compliance

PART-II (Proposal for FY 2018-19)

Labour Budget (LB) 2018-19

- **Brief description of participatory planning exercise undertaken for preparation of Labour Budget estimates.**
- **Estimates of Labour Budget for FY 2018-19**
  - Month-wise Block-wise/Panchayat-wise labour budget with seasonality graph for the FY supported by trends in last 3 FYs.
  - Category-wise & sub category-wise works plan for FY 2018-19 with expected outcomes
  - Commitments for
    - Vermi/NADEP Compost pits
    - AWC
    - Roadside Plantation
  - Implementation of the NRM component of DIP (Under Mission Water Conservation)
    - Total NRM woks planned (percentage included in DIP; Number and percentage of stand-alone works taken up)
    - Kinds of Works Planned
    - Plan for Irrigation deprived Blocks /Districts(NRM component in Number and cost as well as in percentage of total planned cost of LB)
  - Non-PMGSY Road
    - Works planned as per guidelines issued
  - Category-wise expected spillover of works
  - Convergence- works-department-wise and category-wise (Number and percentage)
- **Plan for Direct Benefit Transfer (DBT)- Aadhaar Seeding/ ABP Conversion**

प्रपत्र -5

- Balance Aadhaar numbers to be seeded. Strategy for 100% seeding into NREGASoft of all active workers with timeline
- Balance ABP conversion. Strategy for 100% ABP Conversion of all active workers having accounts in Banks with timelines

- **Completion of Incomplete Works – Strategy and commitment regarding 100% completion of works started before 31st March 2017.**
- **Strategy to ensure timely Payment of Wages**
- **Plan regarding Geo tagging of assets, Registration of MSEs and Janmanrega.**
- **Plan for covering casual manual labour households with Job Cards**

प्रपत्र-6

दिनांक 2 अक्टूबर 2017 को आयोजित ग्राम सभा से सम्बंधित प्रतिवेदन		
क्रम संख्या	गतिविधि	अनुपालन
1.	मनरेगा मजदूरों की संख्या जिनके द्वारा ग्राम सभा में भाग लिया गया i. महिला की संख्या ii. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संख्या	
2.	ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों का मनरेगा के संबंध में उन्नमुखीकरण किया जायेगा तथा विगत वर्ष की मनरेगा कार्यान्वयन एवं उपलब्धियों के संबंध में ग्रामीणों के समक्ष लेखा-जोखा प्रस्तुत किया (विस्तृत था /संतोषजनक था / असंतोषजनक था)	
3.	क्या पिछले वित्तीय वर्ष में सामाजिक लेखा परीक्षा (Social Audit) कराया गया (हाँ/ नहीं)	
4.	यदि विगत वित्तीय वर्ष में सामाजिक लेखा परीक्षा कराई गई थी तो इसकी टिप्पणीयों और अनुपालन प्रतिवेदन को ग्राम सभा में पढ़ कर सुनाया(हाँ/ नहीं)	
5.	क्या क्रम सख्या 1 एवं 4 में उल्लेखित प्रतिवेदन पर ग्राम सभा में चर्चा की गई (हाँ/ नहीं)	
6.	ग्राम सभा में उठाये गए अप्पतियों / राय / विचार में भिन्नता अदि पंचायत रोजगार सेवक / सम्बंधित उपस्थित कर्मी/ पदाधिकारी द्वारा कार्यवाही में उल्लेख किया गया (हाँ/ नहीं)	
7.	ग्राम सभा में विभिन्न विषयों पर प्राप्त सुधार हेतु सुझाव /उठाये गए महत्वपूर्ण बिंदु (कम से कम 3 विन्दु)	i. (सुझाव १) ii. (सुझाव २) iii. (सुझाव ३) ....
8.	इस ग्राम सभा में स्वयं सहायता समूह की दो या तीन महिलाओं का चयन किया जो समाजिक अंकेक्षण हेतु विलेज रिसोर्स परसन (VRP) के रूप में कार्य करेंगी(हाँ/ नहीं)	
9.	Mission Water Conservation and प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (Natural Resource Management) पर सत्र का आयोजन(हाँ/	

प्रपत्र-6

	नहीं)	
दिनांक 11 अक्टूबर 2017 को आयोजित ग्राम सभा से सम्बंधित प्रतिवेदन		
क्रम संख्या	गतिविधि	अनुपालन
1.	मनरेगा मजदूरों की संख्या जिनके द्वारा ग्राम सभा में भाग लिया गया i. महिला की संख्या ii. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संख्या	
2.	सधन सहभागी नियोजन अभ्यास, वार्ड सभा एवं ग्राम सभा की तिथियों की जानकारी एवं उसमें किये जाने वाले कार्यो पर चर्चा की गई अथवा नहीं (हाँ/ नहीं)	
3.	व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का महत्व एवं उसके आवेदन की प्रक्रिया की जानकरी प्रदान की गई है (हाँ/ नहीं)	
4.	नागरिक केन्द्रित Mobile Application " Janmanrega" के उपयोग एवं लाभ के सम्बन्ध में ग्राम सभा में चर्चा की गई (हाँ/ नहीं)	
5.	क्या चर्चा परस्पर संवादात्मक था (हाँ/ नहीं)	
6.	सभी हितधारकों के साथ एक खुली चर्चा के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया गया था(हाँ/ नहीं)	
7.	माह में कम से कम एक दिन ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित होने वाली मनरेगा रोजगार दिवस में भाग लेने की प्रतिज्ञा ग्रामीणों द्वारा ली गई (हाँ/ नहीं)	
8.	वित्तीय वर्ष 2017-18 से सम्बंधित पूरक योजना का अनुमोदन। (हाँ/ नहीं)	
9.	ग्राम सभा में प्राप्त अन्य कोई विचार एवं सुझाव	....

नोट : पंचायत रोजगार सेवक द्वारा ग्राम सभा से सम्बंधित फोटोग्राफ एवं कार्यवाही का संधारण किया जायेगा |

<u>निजी भूमि या गृह स्थल पर अनुमान्य कार्य</u> अनुलग्नक-1

निम्न श्रेणियों के जॉब कार्डधारी परिवारों के अपने (स्वामित्व) निजी भूमि या वास की भूमि पर इस प्राथमिकता क्रम में कार्य अनुमान्य है:-

क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
ख) गरीबी रेखा से नीचे के परिवार
ग) भूमि सुधार लाभार्थी (पर्चाधारी)
घ) इंदिरा आवास / प्रधानमंत्री आवस योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी
ड़) लघु या सीमांत कृषकों की भूमी ।

अनुमान्य कार्यो का विवरण:- (नोट: मानक प्राक्कलन सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध कराये गये हैं)

1. गृहस्थियों के स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई, बागवानी, वृक्षारोपण इत्यादि से संबंधित किये जाने वाले कार्य:-
   - क) निजी तालाब,
   - ख) सिंचाई सुविधा (निजी कूप आदि),
   - ग) बागवानी,
   - घ) वृक्षारोपण,
   - ड़) मेढ़बंधन (खेत बांध),
   - च) भूमि विकास का उपबंध
2. कृषि संबंधित कार्य
   - क) एनएडीइपी कपोंस्टिग (NADEP) (गड्ढे में कृषि अपशिस्ट, गोबर तथा मिट्टी को मिला कर जैव घटक को जैविक तरिके से खाद मिट्टी में बदलना)
   - ख) वर्मी कंपोस्टिंग (केंचुये का उपयोग कर कृषि अपशिस्ट, गोबर इत्यादि को खाद मिट्टी में बदलना)
   - ग) लिक्विड बायो-मेन्योर (तरल जैव खाद जैसे जीवामृत, संजीवक, अमृत पानी आदि)
3. पशुपालन संबंधित कार्य
   - क) कुक्कुट आश्रय स्थल,
   - ख) बकरी आश्रय स्थल,
   - ग) मवेशियों के लिए पक्का फर्श, यूरीन टैंक तथा नाद का निर्माण
   - घ) अजोला जैसा पशु भोजन संपूरक
4. तटीय क्षेत्रों में
   - क) मछली शुष्कन (सुखाने) यार्ड,
   - ख) बेल्ट वेजिटेशन जैसे संकर्म ।
5. व्यक्तिगत घरेलू पखाने (शौचालय)
6. मनरेगा मार्गदर्शिका के अनुसार अन्य अनुमान्य श्रेणी के कार्य ।

अनुलग्नक-2

सार्वजनिक भूमि पर जी जाने वाली योजनायें

- जल संरक्षण और जल संचय अंतर्गत कन्टूर खाइयॉ (सामान उंचाई वाली खाई), कन्टूर बंध (सिकसी पहाड़ी क्षेत्र में जल प्रवाह के वेग को नियंत्रित करने का किफायती तरीका), गोलश्म चेक (पत्थर के रोक बांध), गैबियन संरचनाएं (कैचमेंट वाले नाले पर भारी कटाव को रोकने के लिये), भूमिगत नहरें, मिट्टी के बांध और झरनों का विकास (स्लूइस गेट, चेक डैम, ट्रेंच, वाटर शेड संरचनाएँ आदि) कूप निर्माण, ट्यूबवेल चैनेल का निर्माण आदि बांधों, सार्वजनिक तालाब, निर्माण / सुदृढ़ीकरण / जीर्णाद्धार आदि
- भूमि विकास (भूमि समतलीकरण, मृदा संरक्षण, कटाव रोधी कार्य आदि)
- नियंत्रण नालियों को गहरा करना और उनकी मरम्मत करना, चौर नवीरकण, तटीय संरक्षण के लिए विप्लव जल नालियों का संनिर्माण (चौर से जल निकासी, ड्रेनेज चैनेल, बाढ़ नियंत्रण हेतु बांध निर्माण / सुदृढ़ीकरण, क्रॉस ड्रेनेज, कलवर्ट आदि)
- भीतर, जहां कहीं आवयक हो, पुलिया और सड़कें भी है (इसमें एक बसावट से दुसरी बसावट को जोड़ने वाला पथ, बसावट को मुख्य पथ से जोड़ने पथ तथा बसावट के अंदर के पथ लिये जा सकते है बशर्ते की ऐसे पथ प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत नहीं शामिल हो । इन पथों में मिट्टी कार्य, ईंटकरण, Gravel (मोरम) पथ, नाली निर्माण, कलवर्ट निर्माण, WBM तक का कार्य लिया जा सकता है ।
- बसावटों की आंतरिक गलियों मात्र में पी0सी0सी0 पथ या सीमेंट कंक्रीट इंटरलाकिंग टाइल्स का उपयोग कर निर्माण कार्य का चयन किया जा सकती है ।
- पथों के चयन में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की बसावटों को सर्व प्रथम आच्छादित किया जायेगा । पंचायतें यदि पी0सी0सी0 कार्य करना चाहें तो उक्त अनुमान्यता के अतिरिक्त कार्य अन्य मदों से कर सकती है । तदनुसार प्राक्कलन में स्पष्टतः अलग-अलग प्रवधान दर्शायें जायें ।
- ब्लॉक स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (मनरेगा भवन) का निर्माण ।
- सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मत्स्य पालन जैसे मत्स्य संबंध संकर्म पेयजल संबंधी संकर्म ।
- पथों के किनारे, नहर तट, नदी बॉध, विधालय, कब्रिस्तान, सामुदायिक भुमि पर वृक्षारोपण ।
- स्कूलों मे चहारदीवारी का निर्माण ।
- मनरेगा मार्गदर्शिका के अनुसार अन्य अनुमान्य श्रेणी के कार्य ।

अनुलग्नक-3

निजी भूमि से संबंधित कार्य के संबंध में वार्ड सभा की कार्यवाही का नमूना (इसे पंजी में प्रिंट नहीं किया जाएगा) :-

1. निजी भूमि पर सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों से संबंधित कार्यो के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि इच्छुक आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों को मनरेगा के अंतर्गत निर्धारित वरीयता क्रम में संधारित करके कार्यान्वयन करवाया जायेगा । वार्ड सभा यह भी निर्णय लेती है कि कार्यक्रम पदाधिकारी के स्तर पर ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाय कि अनवरत तरीके से इच्छुक व्यक्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त होते रहे, जिसके बदले में उन्हें प्राप्ति रसीद दी जाय । कार्यक्रम पदाधिकारी के स्तर पर पंचायतवार / प्रक्षेत्रवार आवेदकों की स्थायी प्रतीक्षा सूची बनाई जाय, जो आवेदन की तिथि के आधार पर अनवरत अद्यतन होती रहे । प्राप्त आवेदनों को सूचीबद्ध किया जाय और उन्हें हर चौमाही आयोजित होने वाले ग्राम सभा के विचारार्थ उपस्थापित किया जाय । ग्राम सभा के अनुमोदन के उपरांत मनरेगा की निर्धारित प्राथमिकता क्रम में कार्यो को संपादित कराया जाय ।

2. वार्ड सभा यह भी निर्णय लेती है कि परिवार की निजी भूमि पर मात्र एक ही प्रकार की परिसम्पत्ति सृजित की जाय ।

3. वार्ड सभा यह भी निर्णय लेती है कि यदि एक वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यो का कार्यान्वयन नहीं होता है तो यह प्राथमिकता सूची अगले वित्तीय वर्ष में भी उपयोग की जाएगी ।

4. उपरोक्त सभी प्रस्तावों को वार्ड सभा की बैठक में जन साधारण को पढ़कर सुनाया गया और सर्व सम्पति से पारित किया गया ।